अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–28 / 16–17

(विहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4 (H) के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
04/06/2024	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04 / स0भू0 (दिशा निर्देश)–95 / 2016, 2074 / रा0 राजस्व, निवंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479 / रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनावादी खातान्र्तगत गैर मजरूआ आम / खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमावंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा–महेशपुर थाना संख्या–250 खाता संख्या–162 दाग संख्या 476 रकवा 10–03–09 धूर भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 19.06.1992 को अर्चना सिंह द्वारा निवंधित क्रय एवं लगान रसीद समर्पित किया गया है। लगभग 30 वर्षों से लगान एवं शांतिपूर्ण दखल भोग है। संवंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा वर्णित दाग की भूमि के विरूद्ध विहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित कार्यवाही को रथगित करने की अनुशंसा की गई है। अत: संवंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा–महेशपुर थाना संख्या–250 खाता संख्या–162 दाग संख्या 476 रकवा 10–03–09 धूर भूमि के विरूद्ध विहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित राजस्व विविध वाद संख्या–28 / 16–17 को संस्थित / वन्द किया जाता है। अंचल अधिकारी महेशपुर अंचल अधिकारी महेशपुर	

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.01 17:09:07 +05:30
Location: 192.168.0.103